

FORM-II
(for project other than linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bharatpur

No. Rev/12/2(3)2021/1871

date: 19/3/2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 646.56 hac. of forest land proposed to be diverted in favour of Assistant Mining Engineer, Mines & Geology Department Roopwas distt. Bharatpur, for non forest purpose in khasra no. 01 area 212.85 hac., 31 area 3.62 hac., 32 area 0.05 hac., 33 area 4.99 hac., 34 area 0.24 hac., 40 area 1.70 hac., 74 area 21.20 hac., 76 area 400.63 hac., 77 area 1.28 hac. total area 646.56 hac. village Bansipaharpur Tehsil Roopwas district Bharatpur.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 646.56 hac. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C.
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA.
- The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Bansipaharpur village(s) is enclosed as annexure A to annexure C.
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above

(Signature)
सहायक खनि अभियन्ता
रूपवास जिला भरतपुर

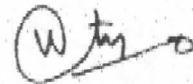
(Signature)
(Nathmal Didel)
District Collector
Bharatpur

No. Rev/12/2(3)2021/1872-1876

Copy forwarded to:

- 1- DFO Bharatpur
- 2- SME Bharatpur
- 3- Sdm Roopwas
- 4- Tehsildar Roopwas
- 5- AME Roopwas

date : 19/3/2021



District Collector
Bharatpur

प्रकाशित दिनांक
सहायक खनि अभियन्ता
रूपवास जिला भारतपुर

Ann- 4

कार्यालय- विकास अधिकारी पंचायत समिति, रूपवास (भरतपुर) राज0

क्रमांक/पंचा/वन क्षेत्र डायवर्जन/2020-21/1129
बीमान् उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड- रूपवास।

दिनांक :- 18.03.2021

विषय :- बंशीपहाड़पुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के डायवर्जन अन्तर्गत एक.आर.ए.
सर्टिफिकेट जारी करने हेतु ग्रामसभा आयोजन की कार्यवाही व अनापत्ति प्रमाण-पत्र
मिजवाने के क्रम में।

प्रसंग :- कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर का पत्रांक राजस्व/12/2(3)2021
11549 दिनांक 09.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्राथमिक पत्र के संदर्भ में विवेदन है कि बंशीपहाड़पुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए एवं बी के डायवर्जन के अन्तर्गत एक.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करने हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 व संशोधित रखते हुये ग्रामसभा में उक्त बाबत निर्णय लिये जाकर तथा वनाधिकार को दृष्टिगत रखते हुये बंशीपहाड़पुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए एवं बी के डायवर्जन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिजवाने की निर्देश दिये हैं। इस संदर्भ में विवेदन है कि कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर के पत्रांक राजस्व/12/2(3)2021/11549 दिनांक 09.03.2021 की प्राप्ति में ग्राम पंचायत पहाड़पुर द्वारा ग्रामसभा का घेचित पत्र में यह अवगत कराया है कि दिनांक 16.03.2021 को इस बाबत आयोजित ग्रामसभा में वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के संशोधित विधायक 2012 की जानकारी संदल में दी गई। वाद-विचार विमर्श अनुसूचित जनजाति परिवार विवास नहीं करता है तथा रिकॉर्ड अनुसार ग्राम पंचायत पहाड़पुर में उक्त भूमि पर सामान्य अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन विधायी क्षेत्र प्रभावित करता है। यदि बंशीपहाड़पुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी का वन क्षेत्र जिसमें लहसीलवाड़ा रूपवास द्वारा उपलब्ध कराया गई जानकारी के अनुसार खसरा नं. 1/212.85 खसरा नं. 31/3.62 खसरा नं. 32/0.05 खसरा नं. 33/4.999 खसरा नं. 34/0.24 खसरा नं. 40/1.70 खसरा नं. 74/21.20 खसरा नं. 76/400.63 व खसरा नं. 77/1.28 हेक्टेयर शामिल है का डायवर्जन किसी राशम स्तर से किया जाता है तो ग्राम पंचायत पहाड़पुर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः ग्राम पंचायत से जारी इस बाबत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अधिन कार्यवाही हेतु बीमान् जी को घेचित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

क्रमांक/पंचा/वन क्षेत्र डायवर्जन-2020-21/1130

प्रतिनिधि :- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु घेचित है-

1. बीमान् अति, जिला कलक्टर महोदय, कलक्टर, भरतपुर।
2. रजित पत्रावली।

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, रूपवास (भरतपुर)
दिनांक :- 18.03.2021

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, रूपवास (भरतपुर)

G:\My Documents\VEERISINGH\New File 1820-21\सहायक रजि अभियन्ता रूपवास जिला भरतपुर

ग्रामपंचायत पहाड़पुर पं. स. रूपवास जिला भरतपुर (राज.)

जयपाल सिंह चौहान
सरपंच
ग्रामपंचायत पहाड़पुर
पं. स. रूपवास (भरतपुर) राज.
मो. 7865036469

प्रेषित :-

श्रीमान

दिनांक 17-3-2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्रस्ताव नं. - 4

किया जाता है कि ग्राम पंचायत पहाड़पुर के ग्राम नं. 01 पहाड़पुर
में जोड़ों A व B की ग्राम पंचायत पहाड़पुर की प्रत्यक्ष
4 दिनांक 16-3-2021 के आधार पर वकील के द्वारा पहाड़पुर की जोड़ों
A व B का सम्बन्धित सत्ता अन्तर्गत किया जाता है की
पहाड़पुर की जोड़ों सम्बन्धित नहीं है।
नोट - 5870 100 प्रमाणों के अन्तर्गत

तक लेख
तेजपाल सरपंच
ग्रामपंचायत पहाड़पुर
पं. स. रूपवास, भरतपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्रामपंचायत पहाड़पुर
पं. स. रूपवास (भरतपुर)

सहायक खनि अभियन्ता
रूपवास जिला भरतपुर

ग्राम पंचायत पहाडपुर पंचायत रूपवास

दिनांक
17-3-2021

सीमान निवास अधिकारी श्री ०
पंचायत रूपवास

ग्राम पंचायत पहाडपुर के वन गैर के A व B के
कटिंग कर. आर.ए. सर्टिफिकेट देने कावत।

उपरोक्त विद्यमानगीत निवेदन है कि गाव के पत मनुमा
ग्राम पंचायत पहाडपुर में दिनांक 16-3-2021 को ग्राम मना का
तामोजन निमा जमा जिसमें वंशी पहाडपुर वन गैर के एवम्
A व B के डायनरजिन के तहत कर. आर.ए. सर्टिफिकेट जारी
किया जाता है। उक्त गैर में समस्त नं. 1, 31, 32, 33, 34, 40, 44, 71 व 77
ग्राम मना में वन निमा सर्टिफिकेट 2006 एवं 2008 के संबंधित निमा
2012 की जानकारी सदन में दी गयी। बाद किया कि वंशी वन पहाडपुर
के वंशी पहाडपुर वन गैर के एवम् A व B के कटिंग कर. आर.ए. सर्टिफिकेट
में गैर में कोई भी मनु. जनजाति परिवार निवास नहीं करता है।
अथ रिकार्ड मनुमा ग्राम पंचायत पहाडपुर में कुछ भूमि पर किसी
भी व्यक्ति का गावासीम या अन्य कोई बहदा जारी नहीं किया है तथा
तभी कोई गावासीम गैर सातना। मनु. जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी गैर प्रभावित करता है।
अथ वंशी पहाडपुर (वन गैर के एवम् A व B का डायनरजिन किसी व्यवस्था
में किया जाता है तो ग्राम पंचायत पहाडपुर को इसमें कोई आपत्ति नहीं
होती। कटिंग कार्रवाई करने उपरवर्त सटरीम नगरपालिका मन्त्रि को
अथ अन्य सम्बन्धित आधिकारिक अधिकारी का निर्णय लेने पर
ले किया गया।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पहाडपुर पहाडपुर
पं.स. रूपवास

सहायक, खनि अभियन्ता
रूपवास जिला रूपवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रुपवास, जिला भरतपुर (राज.)

क्रमांक/वन क्षेत्र/2021/376

दिनांक-17/3/2021

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय

भरतपुर

विषय:- बंशीपहाडपुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के सर्टीफिकेट के संबंध में।

प्रसंग:- श्रीमान के पत्रांक/राजस्व/15/102021/1834 दिनांक 18.03.2021

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत बंशीपहाडपुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के ग्रामों से संबंधित ग्राम सभा के साथ-साथ उपखण्ड स्तरीय गठित जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित हुए।

क्र.सं०	नाम अधिकारी	पद व विभाग
1	श्री सुनील आर्य	उपखण्ड अधिकारी रुपवास
2	श्रीमती दिव्या राठौर	विकास अधिकारी पंचायत समिति रुपवास

नोट- जिला परिषद द्वारा मनोनीत सदस्यों के वर्तमान में कार्यशील नहीं होने के कारण बैठक में उपस्थिति नहीं हो सका।

बैठक में विकास अधिकारी पंचायत समिति रुपवास द्वारा अवगत कराया गया कि बंशीपहाडपुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के डाइवर्जन के अन्तर्गत एफ आर ए सर्टीफिकेट जारी करने हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 व 2008 में वर्णित प्रावधानों अनुसार अनुसूचित जनजातियों एवं परम्परागत वननिवासियों को प्रदत्त अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए ग्राम सभा में उक्त बावत निर्णय लिये जाकर वनाधिकार को दृष्टिगत रखते हुए बंशीपहाडपुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के डाइवर्जन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिये गए। इस संदर्भ में श्रीमान के निर्देश की पालना में ग्राम पंचायत पहाडपुर द्वारा ग्रामसभा का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत पहाडपुर के पत्रांक एस पी एल-1 दिनांक 17.03.2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि दिनांक 16.03.2021 को इस बावत आयोजित ग्रामसभा में वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के संशोधित नियम 2012 की जानकारी सदन में दी गयी बाद विचार विमर्श से पाया गया कि बंशीपहाडपुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी अन्तर्गत इस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई भी अनुसूचित जनजाति परिवार निवास नहीं करता है। तथा रिकॉर्ड अनुसार ग्राम पंचायत पहाडपुर में उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई आवासीय या अन्य कोई पट्टा जारी नहीं किया है। तथा न ही कोई आवासीय क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी क्षेत्र प्रभावित करता है यदि बंशीपहाडपुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी का वन क्षेत्र जिसमें तहसीलदार रुपवास द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार खसरा नं० 1/212.85, खसरा नं० 31/3.62, खसरा नं० 32/0.05, खसरा नं० 33/4.999, खसरा नं० 34/0.24, खसरा नं० 40/1.70, खसरा नं० 74/21.20, खसरा नं० 76/400.63 व खसरा नं० 77/1.28 हैक्टै0 शामिल है का डाइवर्जन किसी सक्षम स्तर से किया जाता है तो ग्राम पंचायत पहाडपुर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है ग्राम पंचायत से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति रुपवास द्वारा अवगत करायी गई रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत बंशीपहाडपुर वन भूमि के प्रस्ताव डाइवर्जन हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सहायक खनि अभियन्ता

रुपवास जिला भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
रुपवास